

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख 17/6/2022

प्रकरण संख्या :- 252

राधेश्याम पुत्र रूपलाल जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

## बनाम

01. गंगादेवी पत्नि नानालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शांति पुत्री हीरालाल जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. शंभुलाल पुत्र हीरालाल जाति लुहार उम्र नाबालिंग जरिये संरक्षक माता शांति पत्नि हीरालाल जाति लुहार पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक: 17.6.2022

प्रार्थना पत्र राधेश्याम पुत्र रूपलाल जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा जोलास पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 594/462 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा जोलास पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 594/462 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ भीलवाड़ा



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - १५२

तारीख १०/६/२२

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....२५२...../ 2022 पत्थरगढी बाबत।

राधेश्याम पुत्र रूपलाल जाति भाट उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी


## बनाम

01. गंगादेवी पत्नि नानालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. शांति पुत्री हीरालाल जाति लुहार उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. शंभुलाल पुत्र हीरालाल जाति लुहार उम्र नाबालिंग जरिये संरक्षक माता शांति पत्नि हीरालाल जाति लुहार पेशा कृषि निवासी चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा जोलास पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 54 पर अंकित आराजी संख्या 594/462 रकबा 1.2950 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

१८